

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

कान्ता बनाम राज0 सरकार वगै0

किस्म मुकदमा- प्रा0पत्र 128 एल आर एक्ट

मु0नं0- 59 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.07.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेशुदा भूमी खसरा नम्बर 265 वाके ग्राम भडंग्यावास तहसील बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि में से ख0न0 259 का सीमाज्ञान तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा दिनांक 17.06.2023 को किया जा चुका है। प्रार्थीगण उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाने चाहते है जिस हेतु प्रार्थनापत्र अ0धा0 128 एल आर एक्ट पेश किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया। पत्रावली में विचाराधीन भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिसका सीमाज्ञान भी किया जा चुका है उक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थी का कानूनी हक अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः न्यायालय इस विनम्र मत पर है कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बहरावण्डा को वाके ग्राम भडंग्यावास तहसील बहरावण्डा में स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 259 पर पत्थरगढी कायम किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। तहसीलदार बहरावण्डा उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>तहसीलदार बहरावण्डा को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु तहरीर जारी हो।</p> <p>निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 19.07.2023 सरे इजलास सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)